

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2025-26

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2-16
2	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 17-29
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 30-41
4	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या	पृष्ठ 42-42

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

**मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन
संस्थाओं में बी.आर्क. पाठ्यक्रम में
सत्र 2025-26 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम**

मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में बी.आर्क. पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम प्रभावशील रहेंगे तथापि नीतिगत परिवर्तन की दशा में ही नियमों में आवश्यक संशोधन उपरान्त शासन अनुमति आवश्यक होगी :-

1.1 सामान्य

ये नियम मध्य प्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में बी.आर्क. प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलाएंगे।

1.2 परिभाषाएँ :

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

1. "AICTE" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली।
2. "संयुक्त प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा।
3. "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसका नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री /डिप्लोमा प्रदान किया जाता है (जैसे बी.आर्क.,बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)।
4. "व्यावसायिक संस्थान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी तथा फार्मसी पाठ्यक्रमों को संचालित करती हैं।
5. "सी.टी.ई." से अभिप्रेत है आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. "रा.गां.प्रौ.वि" से अभिप्रेत है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है।
7. "प्राचार्य" से अभिप्रेत है संस्था प्रमुख।
8. "सक्षम प्राधिकारी (सा.प्रा.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित सक्षम प्राधिकारी।
9. "मध्यप्रदेश (म.प्र.)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है।

10. "एन.आर.आई." से अभिप्रेत है अनिवासी भारतीय का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिये दिया गया है।
11. "COA" से अभिप्रेत है काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (वास्तुकला परिषद)।
12. "NATA" से अभिप्रेत है नेशनल एप्टीट्यूट टेस्ट इन आर्कीटेक्चर।
13. "श्रेणी" से अभिप्रेत है इन चार श्रेणी में से एक उदाहरणार्थ अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।
14. "वर्ग" से अभिप्रेत है इन चारों वर्गों में कोई भी एक उदाहरणार्थ सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), टेकनिकल स्ट्रीम (TS), बिना वर्ग (X)।
15. "OP" सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी।
16. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी।
17. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट ।
18. "AI" सीटों से अभिप्रेत है आल इंडिया सीट ।
19. "Jee-Main" (Joint Entrance Exam-Main) से अभिप्रेत है संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य।
20. "EWS" से तात्पर्य "मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी" है।

1.3 लागू होना:- ये नियम मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.आर्क. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें:-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्था	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत आल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं आल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट:-

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।
- (ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता वास्तुकला परिषद्, (COA) नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

1.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण

1.4.2.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें

मध्य प्रदेश शासन में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं के बी.आर्क संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिए क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी:

- (अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
- (ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश

शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 30 अप्रैल 2022 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ग) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापितों की सीटें (J & K Migrants Seats):

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में प्रवेश क्षमता में से एक सीट उपलब्ध होगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-7 में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-8 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J&K Residents Seats)

अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयीन इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में आल इण्डिया सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में आरक्षित की गई हैं।

(ङ) मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण:-

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे। ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप-11 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं इस संबंध में काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (वास्तुकला परिषद) नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश देखें)।

(च) क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation):-

अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में सभी श्रेणियों में महिलाओं (F), सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन)Differently Abled Persons)D(, तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों हेतु क्षैतिजीय आरक्षण रहेगा जबकि विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में केवल महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिये प्रत्येक श्रेणी में क्षैतिजीय स्थान आरक्षित रहेंगे:-

(अ) अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.आर्क पाठ्यक्रम में

अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), दिव्यांगजन)D(तथा टेकनिकल स्ट्रीम (TS) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण क्रमशः 5, 3, 3, 1 प्रतिशत रहेगा।

विश्वविद्यालयीन संस्थाओं के बी.आर्क पाठ्यक्रम में अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अंतर्गत दिव्यांग)D(वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्षैतिजीय आरक्षण 3 प्रतिशत रहेगा।

सैनिक वर्ग (S):-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से दिव्यांग हो गये हों। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 भाग(अ) में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-4 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह **1 जनवरी, 2025** को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। (प्रमाण पत्र प्रारूप-3 भाग(ब) में)

टिप्पणी:

सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF):-

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी:

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-5 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

टेक्निकल स्ट्रीम (TS) वर्ग:

टेक्निकल स्ट्रीम वर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 हाई स्कूल प्रणाली की दसवीं की परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की हो तथा मध्यप्रदेश स्थित विश्वविद्यालय से किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा (Diploma) उत्तीर्ण किया हो।

बिना वर्ग (Nil Class) (X):-

जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा ।

(ब) मध्यप्रदेश की महिला (F) उम्मीदवारों हेतु आरक्षण

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश की महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा । ऐसी सीटों को (F) दर्शाया जावेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा ।

टिप्पणी:

किसी वर्ग (Class) विशेष में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी वर्ग के ओपन (OP) उम्मीदवारों से भरी जावेगी। वर्ग विशेष में ओपन उम्मीदवार भी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटें उसी श्रेणी (Category) के बिना वर्ग (X/OP) उम्मीदवारों के द्वारा भरी जावेंगी।

(स) दिव्यांगजन उम्मीदवारों की सीटें (Seats for Differently Abled Persons):-

ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनका दिव्यांगता 40 प्रतिशत या 40 से अधिक है एवं जो नियम पुस्तिका के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, के लिए ब्रांचवार प्रवेश क्षमता में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों यथा अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) में उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी:-

1. यदि क्षैतिजीय आरक्षण के विरुद्ध दिव्यांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो ऐसी सीटों को उसी श्रेणी के Nil वर्ग (बिना वर्ग X) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
2. इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को निम्नांकित दोनों प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से काउंसिलिंग के दौरान ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

(अ) जिला चिकित्सा मंडल द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र;

तथा

(ब) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांगों हेतु, नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, नेपीयर टाउन, जबलपुर (म.प्र.) (Superintendent, National Career Service Center for Differently Abled, Napier Town, Jabalpur, Madhya Pradesh) द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा, जिसमें पाठ्यक्रम एवं संकाय (ब्रांच) का उल्लेख होना अनिवार्य है।

1.4.2.2 एन.आर.आई (NRI) सीटें :

समस्त संस्थाओं में जिनमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के

लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश” विनियम, 2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.4.2.3 आल इंडिया सीटें:-

समस्त संसदों में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें आल इंडिया उम्मीदवारों को प्रवेश के लिये उपलब्ध रहेंगी।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रता :

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा जारी विनियम 2020 यथा संशोधित के अनुसार सत्र 2025-26 के लिये निर्धारित निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है:-

“No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate.”

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें

(M.P. Domicile Requirements)

मध्यप्रदेश में स्थित अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं की बी.आर्क सीटों के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये

सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर के पत्र COA letter Ref. No. CA/5/2023/Academic/Circular-Eligibility dated 19-July-2023 के अनुसार प्रवेश नियमों में संशोधन करते हुए नाटा के साथ-साथ जेईई-मेन परीक्षा पेपर-2 को भी मान्य करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर Jee-Main-2025 पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा.

1.7 प्रवेश की प्रक्रिया

1.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Admission Procedure of Online Off campus Counselling):-

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया:-

1.7.2.1 ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

1.7.2.2 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन - अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी

द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

1.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

1.8.1 बी. आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पत्र **COA letter Ref. No. CA/5/2023/Academic/Circular-Eligibility dated 19-July-2023** के अनुसार प्रवेश नियमों में संशोधन करते हुए NATA के साथ-साथ Jee-Main परीक्षा पेपर-2 को भी मान्य करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी

1.8.2 प्रवेश हेतु अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा नाटा NATA/Jee-Main-25 पेपर-2 के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश किये जायेंगे।

Note: In order to pass an Aptitude Test in Architecture, a candidate must be qualified as per exam authority.

टिप्पणी:-

1- एक समान अंक प्राप्त होने पर NATA/Jee-Main-25 पेपर-2 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा NATA/Jee-Main-25 पेपर-2 में भी समान अंक प्राप्त होने पर 10+2 की 12 वीं परीक्षा में गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा, गणित विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर भौतिक विषय एवं भौतिक विषय में भी समान अंक होने पर रसायन विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जायेगा। रसायन विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिये एक समान अंक प्राप्त होने पर NATA/Jee-Main पेपर-2 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा,

NATA/Jee-Main पेपर-2 में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में उपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

- 2- ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है।

1.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी:

1.8.4.1 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की सीटों, ऑलइंडिया सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा NATA/Jee-Main पेपर-2 के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर किये जावेंगे।

1.8.4.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

1.8.4.3 मूल प्रमाणपत्र:- काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माइग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करना हैं।

नोट:-काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माइग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.8.4.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.4.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

1.9 प्रवेश का क्रम :-

1.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान **मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों** सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से भरे जाएंगे।

1.9.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी। यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

1.9.3 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसिलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

1.9.4 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा **NATA/Jee-Main** पेपर-2 एवं अर्हकारी परीक्षा के अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसिलिंग) के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार काउंसिलिंग सम्पादित की जावेगी।

1.9.5 काउंसिलिंग के अंतिम चरण में मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रवेश देने के उपरांत रिक्त सीटों पर अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जा सकेंगे।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जाना:-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।
- (3) **रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति:-**
प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।
- (4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 शिक्षण तथा अन्य फीस :-

राज्य शासन ने बी.आर्क पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

1.12 पाठ्यक्रम :-

तकनीकी/ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मापदंड आवश्यकतायें एवं अन्य शर्तें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार होगी।

1.13 निर्वचन :-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1.14 उपांतरण :-

मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.15 अधिकारिता :-

किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in>. पर उपलब्ध रहेगी।

**मध्यप्रदेश में स्थित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में
बी.आर्क. पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से
प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेश नियम**

मध्य प्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) के अंतर्गत दिनांक 15 अप्रैल 2008 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति तथा स्थानों के आरक्षण के संबंध में बी.आर्क. पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम:-

2.1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रवेश नियम, 2008 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित 15 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त हैं एवं संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हैं ।

2.2 परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

- (क) “अधिनियम से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007)|
- (ख) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्राधिकारी|
- (ग) “प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभावित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति|
- (घ) “ए.आई.सी.टी.ई.” से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थापित कानूनी निकाय|
- (ङ.) “उपाबंध” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न उपाबंध|
- (च) “सामान्य प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं में गुणागुण आधारित प्रवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीकृत परामर्श द्वारा अनुसरित अभ्यर्थियों के गुणागुण के लिए संचालित कोई प्रवेश परीक्षा|
- (छ) “सक्षम प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी|

- (छ-1) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत हैं कोई पाठ्यक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी. आर्क. ” बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी.फार्मा, आदि)।”
- (ज) “फीस” से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार।
- (झ) “अनिवासी भारतीय” का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-ग के खण्ड (ड.) में उसके लिए दिया गया है।
- (ञ) “प्राचार्य” से अभिप्रेत है संस्था का प्रमुख।
- (ट) “सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या पोषित नहीं है।
- (ठ) “व्यावसायिक शिक्षण संस्था” से अभिप्रेत है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संस्थान चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसमें राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करने वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो।
- (ड) “अर्हकारी परीक्षा” से अभिप्रेत है उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है।
- (ढ) “एकल खिड़की प्रणाली” से अभिप्रेत हैं ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाइन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं।
- (ण) “व्यापम” से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
- (त) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।
- उपरोक्त के अलावा नियम पुस्तिका में उपयोग किये जाने वाले संक्षिप्ताक्षर निम्नानुसार हैं:-

1. “सी.टी.ई.” से अभिप्रेत है आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
2. “रा.गां.प्रौ.वि.” से अभिप्रेत हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से है ।

3. “मध्यप्रदेश (म.प्र.)” से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया है ।
4. COA से अभिप्रेत है काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (वास्तुकला परिषद) ।
5. NATA से अभिप्रेत है नेशनल एण्टीट्यूट टेस्ट इन आर्कीटेक्चर ।
6. “सामान्य पूल” से अभिप्रेत है प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 85 प्रतिशत स्थान जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से और 10 प्रतिशत स्थान संस्थागत प्राथमिकता की श्रेणी से भरे जा रहे हैं वहां इसका अर्थ होगा कि प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 95 प्रतिशत स्थान, जहां कुल स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 5 प्रतिशत स्थान केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जा रहे हों और जहां अनिवासी भारतीय तथा संस्थागत प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत कोई प्रवेश नहीं दिए जा रहे हों, वहां इसका अर्थ होगा, प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के 100 प्रतिशत स्थान । प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के स्थानों में से 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। अनारक्षित सीटों पर प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश के मूल-निवासी की बाध्यता लागू नहीं होगी अर्थात् अनारक्षित सीटों पर मध्यप्रदेश के मूल-निवासियों के साथ-साथ अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा।

7. “Jee-Main” (Joint Entrance Exam-Main) से अभिप्रेत है संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य।
8. "EWS" से तात्पर्य “मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी” है।

2.3. लागू होना:-

ये नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं (स्ववित्त पोषित) को लागू होंगे जो इस प्रयोजन के लिए काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर द्वारा यथा अधिसूचित व्यावसायिक पाठ्यक्रम बी. आर्क. संचालित कर रही हों।

2.4. प्रवेश नियम :-

समस्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

2.4.1 स्थानों की उपलब्धता -

मध्यप्रदेश में विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की संख्या निम्नानुसार है:-

संस्थाओं के प्रकार	प्रवेश क्षमता की प्रतिशतता
निजी संस्थाएँ	अ) उन संस्थाओं में जिन्होंने काउंसिल ऑफ़ आर्कीटेक्चर से अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के लिये और सक्षम प्राधिकारी से संस्थागत प्राथमिकता के अधीन स्थान भरने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 100 प्रतिशत।
	ब) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये काउंसिल ऑफ़ आर्कीटेक्चर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, किन्तु जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन स्थान भरने के लिये अपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये काउंसिल ऑफ़ आर्कीटेक्चर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे)।

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में नवीन ब्रांच या विद्यमान ब्रांच की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की जाने की अनुज्ञा उस वर्ष समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/ आरक्षण -

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85,95,100 प्रतिशत स्थानों में से जो लागू हो) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उत्तरोत्तर चरण की काउंसिलिंग आयोजित की जाती है तब पिछले चरण के उपरान्त विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थानों को नियमानुसार पुनः परिवर्तित (Redistribution) किया जावेगा।

टिप्पणी :-

- (1) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।
 - (2) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप में परामर्श (Counselling) के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (क) **मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी:-**ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप-1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-

2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 01 अगस्त, 1996 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश देखें)

(ख) **मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC) श्रेणी:-** ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गए निर्धारित प्रारूप-2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **30 अप्रैल 2022** के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रारूप-10 में परामर्श के समय प्रस्तुत करना होगा। (देखें मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/ आ.प्र./एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 एवं आदेश क्रमांक एफ-7-16-2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06.07.2000 तथा शासन द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश)

(ग) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित की सीटें (J & K Migrants Seats):**

जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक संस्था में प्रवेश क्षमता में से एक सीट उपलब्ध होगी। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित **प्रारूप-7** में जम्मू एवं काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित **प्रारूप-8** में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(घ) **जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों की सीटें (J & K Residents Seats)**

सामान्य पूल सीटों में से एक-एक सीट प्रत्येक संस्थाओं में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित की गई हैं।

(ङ) **मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी हेतु आरक्षण:-**

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10% (दस प्रतिशत) स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

ऐसा उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप-11** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 तथा शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये नवीन दिशा निर्देश एवं इस संबंध में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (वास्तुकला परिषद) नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश देखें)।

(च) एन.आर.आई. (NRI) सीटें :-

समस्त संस्थाओं में जिनमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम “प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011” दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रता:

1) जो भारत का नागरिक हो

2) शैक्षणिक अर्हता

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा जारी विनियम 2020 यथा संशोधित के अनुसार सत्र 2025-26 के लिये निर्धारित निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है:-

“No candidate shall be admitted to architecture course unless she/he has passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with either Chemistry or Biology or Technical Vocational subject or Computer Science or Information Technology or Informatics Practices or Engineering Graphics or Business Studies with at least 45% marks in aggregate or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 45% marks in aggregate.”

नोट:-

1. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होंगे जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
2. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

3) मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (M.P. Domicile Requirements)

बी.आर्क. की सामान्य पूल की सीटों जिनपर नियमानुसार मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इन सीटों पर प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी:-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण-पत्र प्रारूप-6 में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीति

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग ऑफ आर्किटेक्चर के पत्र **COA letter Ref. No. CA/5/2023/Academic/Circular-Eligibility dated 19-July-2023** के अनुसार प्रवेश नियमों में संशोधन करते हुए नाटा के साथ-साथ **जेईई-मेन परीक्षा पेपर-2** को भी मान्य करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

प्रवेश परीक्षा नाटा उत्तीर्ण (Qualified) अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर प्रवेश परीक्षा नाटा के स्थान पर Jee-Main - 2025 पेपर-2 (Aptitude Test in Architecture) को मान्य किया जायेगा।

2.7 प्रवेश की प्रक्रिया

2.7.1 ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया

(Online Offcampus Admission Procedure)

राज्य सरकार द्वारा किसी विषिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.7.2 अनिवासी भारतीयों के स्थानों के विरुद्ध प्रवेश की प्रक्रिया :-

ऐसी समस्त संस्थाओं में जिनमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें अनिवासी भारतीय उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिये अनुमति

दी जावेगी उन पर प्रवेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित नियम "प्रवेश विनियम, 2011" दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसार दिये जावेंगे।

2.7.3 अनिवासी भारतीय के रिक्त स्थानों का संपरिवर्तन -

अनिवासी भारतीयों के रिक्त स्थान, जैसा कि अनिवासी भारतीय के न भरे गये स्थानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्य पूल के स्थानों में संविलीन कर दिए जाएंगे तथा इन स्थानों की पूर्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, मध्यप्रदेश के मूलनिवासियों के स्थानों की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी।

2.8 प्रवेश हेतु चयन पद्धति

2.8.1 बी. आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर के पत्र **COA letter Ref. No. CA/5/2023/Academic/Circular-Eligibility dated 19-July-2023** के अनुसार प्रवेश नियमों में संशोधन करते हुए NATA के साथ-साथ **Jee-Main** परीक्षा पेपर-2 को भी मान्य करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी

2.8.2 प्रवेश हेतु अंकों में अधिभार

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। ऐसे उम्मीदवारों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त कर काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

2.8.3 योग्यता क्रम सूचियां

बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश COA द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा नाटा NATA/Jee-Main-25 पेपर-2 के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा अर्हकारी प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत को जोड़कर तैयार की गई मेरिट के आधार पर प्रवेश किये जायेंगे।

टिप्पणी :-

1. एक समान अंक प्राप्त होने पर NATA/Jee-Main पेपर-2 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा NATA/Jee-Main पेपर-2 में भी समान अंक प्राप्त होने पर 10+2 की 12वीं परीक्षा में गणित विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा गणित विषय में भी समान अंक होने

पर भौतिक विषय एवं भौतिक विषय में भी समान अंक होने पर रसायन विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जायेगा। रसायन विषय में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिये एक समान अंक प्राप्त होने पर **NATA/Jee-Main पेपर-2** में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा **NATA/Jee-Main पेपर-2** में भी समान अंक प्राप्त होने पर अधिक आयु वाले उम्मीदवार को योग्यताक्रम सूची में ऊपर रखा जावेगा। तत्पश्चात् आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यताक्रम सूची में रखा जावेगा।

2. ऐसे उम्मीदवार को जो 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार लिए हैं, मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त उस उम्मीदवार से नीचे रखा जाएगा जिसे ऐसा अधिभार प्राप्त नहीं है ।

2.8.4 प्रवेश प्रक्रिया की सामान्य जानकारी :-

2.8.4.1 सामान्य पूल सीटों, जम्मू कश्मीर विस्थापित एवं जम्मू कश्मीर निवासी सीटों के लिये प्रवेश मेरिट के आधार पर किये जावेंगे।

2.8.4.2 समस्त प्रवेश काउंसिलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। काउंसिलिंग का कार्यक्रम विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जावेगा। काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम सक्षम प्राधिकारी/संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा। इसके लिये उम्मीदवारों को अलग से कोई भी कॉल लेटर नहीं भेजा जावेगा।

2.8.4.3 मूल प्रमाणपत्र:- काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, सत्यापन उपरान्त उनके मूल प्रमाण-पत्र संस्था द्वारा वापिस कर दिये जायेंगे। उम्मीदवारों को टी.सी. एवं माईग्रेशन को छोड़कर अन्य मूल प्रमाण-पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं करना हैं।

नोट:- काउंसिलिंग पोर्टल के माध्यम से केंद्रीकृत/संस्था स्तर काउंसिलिंग (सीएलसी) में, संस्थान/पाठ्यक्रम के आवंटन के बाद, उम्मीदवार को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (एएफआरसी) द्वारा निर्धारित शुल्क तथा मूल टीसी/माईग्रेशन आवंटित संस्था में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने के

लिये किसी संस्था या व्यक्ति को कोई शुल्क जमा करता है अथवा अपने मूल दस्तावेज जमा करता है/सौंपता है, तो इसके लिये उम्मीवार स्वयं जिम्मेदार होगा।

2.8.4.4 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी ।

2.9 प्रवेश का क्रम :-

2.9.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीकृत परामर्श (काउंसिलिंग) से उन संस्थाओं के स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिन्होंने समुचित प्राधिकारी से इसके लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली है। यह स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया तथा कार्यक्रम के अनुसार भरे जाएंगे तथा कोई स्थान रिक्त रहने की दशा में यह स्थान सामान्य पूल में सम्मिलित किए जाकर केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) से भरे जाएंगे।

2.9.2 केवल उन संस्थाओं को, जिन्होंने संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त आय से स्नातक, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट प्रदान करने की सहमति दी हो, स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को प्रवेश परीक्षा NATA/Jee-Main पेपर-2 एवं अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में और काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करने पर प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार भरने की अनुमति दी जायेगी।

2.9.3 सामान्य पूल के परामर्श (काउंसलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी. यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

2.9.4 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

2.9.5 यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा **NATA/Jee-Main** पेपर-2 एवं अर्हकारी परीक्षा के अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग), आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

केन्द्रीयकृत परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जाना :-

- (1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) प्रवेशित सत्र के लिये संवैधानिक निकाय द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावशाली रहेगा, उक्त कैलेंडर में प्रवेश निरस्त उपरान्त शुल्क वापसी के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात्, प्रवेश निरस्त कराये जाने पर, शिक्षण शुल्क की वापसी मान्य नहीं होगी।

(3) रद्दकरण के पश्चात् स्थानों की स्थिति:-

प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आबंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

- (4) प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 शिक्षण तथा अन्य फीस:-

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने बी.आर्क, पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं द्वारा उम्मीदवारों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के आदेश समय-समय पर प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा जारी किए हैं। प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होंगे।

संस्थागत प्राथमिकता की सीटों के लिए शिक्षण शुल्क :-

अधिकतम 1.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये होगा। संस्था उपरोक्त शुल्क से भिन्न कम शुल्क प्रभारित कर सकेगी तथापि यह शिक्षण शुल्क सामान्य पूल की सीटों के लिए विहित शिक्षण शुल्क से किसी भी परिस्थिति में कम न होगा परंतु इसकी सूचना प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति तथा सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम में देना होगी।

2.12 पाठ्यक्रम:-

काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (COA) द्वारा अनुमोदित तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रम तालिका में दिए गए हैं।

2.13 निर्वचन:-

उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में मध्यप्रदेश राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा एवं जिसका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

2.14 नियमों/प्रक्रियाओं का उपांतरण:-

मध्यप्रदेश राज्य सरकार, स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् प्रवेश के लिए किसी उपबंध/नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण आबद्धक होगा।

अभिकरण की ओर से किसी उल्लंघन या इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन से व्यथित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में वाद हेतु तथा अधिकथित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा।

2.15 अधिकारिता:-

किसी विधि संबंधी विवाद के मामले में अधिकारिता केवल मध्यप्रदेश में गठित तथा स्थित न्यायालयों तक ही सीमित रहेगी।

प्रवेश नियम की प्रति संचालनालय तकनीकी शिक्षा की वेबसाईट
<https://dte.mponline.gov.in>. पर उपलब्ध रहेगी।

प्रारूप-1

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक..... प्रमाण पत्र क्रमांक.....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी..... पिता/ पति का नाम.....
निवासी ग्राम/नगर.....वि.खं.....तहसील.....
जिला..... संभाग.....के.....जाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह..... जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित है।
अतःश्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.....है।

हस्ताक्षर

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील)

पदनाम

- टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश
पुस्तक क्रमांक.....प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/श्री.....निवासी/ग्राम/शहर.....
तहसील..... जिला.....मध्य प्रदेश के निवासी हैं,
जो.....जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक..... पर अंकित है।

श्री..... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
..... संभाग.....में निवास करता हैं

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-26/93/1- आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी.....के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये.....हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक..... को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक
(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप-3 भाग (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/
पुत्री (परीक्षार्थी का नाम).....
जो प्रवेश परीक्षा का नाम.....वर्ष.....के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
उम्मीदवार है, के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय
वेपद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक.....था।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..... पद पर सर्विस
क्रमांक..... के अधीन सेवा की है। सेवा के दौरान वे स्थायी रूप
से विकलांग हो गए है/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष उन्होंने में हो चुकी है।

स्थान:

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री
(परीक्षार्थी का नाम).....जो प्रवेश परीक्षा का
नाम.....वर्ष.....के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये
उम्मीदवार हैं, के पिता/माता है जो-

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंओहदे पर
सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे
मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है वे इस इकाई में
दिनांक.....से सेवारत है।

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के
ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा
कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है।

स्थान:

दिनांक:.....

हस्ताक्षर: आफिसर कमांडिंग

(कार्यालय सील)

**भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में
व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी(उम्मीदवार का नाम).....जो परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार से..... पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से.....(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं।

स्थान:..... जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:.....

(कार्यालय सील)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी (उम्मीदवार का नाम).....
श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के पिता/ माता का नाम).....
के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

श्री/श्रीमती (उम्मीदवार के माता/पिता नाम)
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम).....
के वैध (Legitimate) पुत्र/ पुत्री हैं।

एवं

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)..... का
नाम मध्यप्रदेश के जिला.....(जिले का नाम) में संधारित
(Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में
क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर कलेक्टर

(कार्यालय सील)

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार

टप्पा/ तहसील..... जिला.....
 प्र.क्र. वर्ष..... दिनांक.....

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का
 पासपोर्ट साईज का
 फोटो लगाया जाये जो
 प्राधिकृत अधिकारी
 द्वारा सत्यापित
 किया जायें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.....
 पिता/पति.....निवासी.....तहसील.....
जिला..... (मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश
 के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील जाप दिनांक..... में
 निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक.....की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय
 निवासी है।

2.* प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन
 क्रमांक.....दिनांकके अधीन आवेदक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क
 बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है:-

टीप:- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य
 हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।
 (आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार
 तहसील.....
 जिला.....

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र

Office of the Zonal Officer

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that S/o or
D/o..... R/o
Tehsil District A/P..... Pin
..... is registered from No.
R/Card No At S. No. of his/her father ration
card issued from this zone.

Seal of Tehshildar

Zonal Officer / Tehshildar

मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/आत्मजा/श्री
जो (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर
(पाठ्यक्रम का नाम)में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के
विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है ।

श्री..... (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता
श्री/श्रीमती..... मध्यप्रदेश सेवा के
अधिकारी/ कर्मचारी है जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी
गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक से दिनांक
..... तक (स्थान का नाम) में
रही है ।

स्थान

दिनांक.....

हस्ताक्षर

(सील)

**राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले
खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र**

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

आत्मज/ आत्मजा/ श्री.....ने वर्ष

की.....मे भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल

विभाग नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संगठनों के अधिकार पत्र पर

आयोजित.....राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

.....स्वर्ण पदक अर्जित किया है।

स्थान

संचालक

दिनांक

खेल और युवक कल्याण, मध्यप्रदेश

हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा

नोट:- ओपन, जूनियर, सीनियर एवं नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को इस हेतु राष्ट्रीय प्रतियोगिता की श्रेणी में नहीं माना जावेगा ।

प्रारूप -10

आय बाबत स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र

(सादे कागज पर)

मैं..... आत्मज श्री.....आयुवर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:-

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ।
2. मेरी नाम से ग्राममें हैकटेयर/एकड़ कृषक भूमि है, जिससे मुझे रुपये. शब्दों में की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसायहै, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....शब्दों मेंहै।
4. गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपयेशब्दों में है।
5. मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैं:- 1.....2.....3.....4.....5.....
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)
6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपयेशब्दों में.....है।
7. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि.....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....वर्ष, निवासीसत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांकवर्ष को स्थान.....में किया गया।

हस्ताक्षर

(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक, दिनांक 02 जुलाई 2019 का संलग्नक)

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय का नाम

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण-पत्र संख्या.....
दिनांक-.....

वित्तीय वर्षके लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है, कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा
पोस्ट ऑफिस थाना तहसील
..... जिला राज्य पिन कोड
..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक
आय 08 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में
से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- I. जिसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो (जिसके खसरे में तीन साल से लगातार उसर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो, वह भूमि में शामिल नहीं होगी) ।
 - II. जिसके पास 1200 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो।
 - III. जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान/फ्लैट हो।
 - IV. नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से ज्यादा का आवासीय मकान/फ्लैट हो ।
2. श्री/ श्रीमती/कुमारी जाति..... के सदस्य है जो
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर.....(कार्यालय का मुहर
सहित)

पूरा नाम

पदनाम

अनुविभागीय अधिकारी /तहसीलदार

**सत्र 2025-26 में पोलिटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संभावित
संस्थावार एवं ब्रांचवार सीटों की संख्या**

S. No.	Institute Name	Total Intake
Government Aided		
1	Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior (Deemed University)	40
University Owned		
2	School Of Architecture, RGPV Bhopal	20
Private		
3	HITKARNI COLLEGE OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING, JABALPUR	40
4	IPS ACADEMY, SCHOOL OF ARCHITECTURE, INDORE (MP)	120

NOTE: ADDITION/DELETION OF INSTITUTIONS AND INTAKE CAPACITY MAY TAKE PLACE AT THE TIME OF COUNSELING AS PER THE APPROVAL OF AICTE